निर्णय बइजलास के. आर. चौहान (R.A.S.) सहायक कलेक्टर व उपखण्ड अधिकारी

देवगढ जिला राजसमन्द राज0

**प्र0 सं0 37/2017 रे0 वाद** **निर्णय दिनांक 07.02.2019**

अनवान

1. श्री चतरू पिता उदा जी जाति बलाई आयु बालिग निवासी भारतसिह जी का गुडा तह0 देवगढ जिला राजसमन्द राज0
2. श्री लादुलाल पिता मांगीलाल जी जाति बलाई आयु बालिग निवासी भारतसिह जी का गुडा तह0 देवगढ जिला राजसमन्द राज0

—वादीगण

विरुद्ध

1. श्री देवा पिता जोधा जी जाति रेगर आयु बालिग निवासी अनोपपुरा तह0 देवगढ जिला राजसमन्द राज0
2. श्री गोपीलाल पिता जोधा जी जाति रेगर आयु बालिग निवासी अनोपपुरा तह0 देवगढ जिला राजसमन्द राज0
3. श्री प्रताप पिता मोती जी जाति रेगर आयु बालिग निवासी अनोपपुरा तह0 देवगढ जिला राजसमन्द राज0
4. श्री तोलीराम पिता मोडा जी जाति रेगर आयु बालिग निवासी अनोपपुरा तह0 देवगढ जिला राजसमन्द राज0
5. श्री गंगाराम पिता मोडा जी जाति रेगर आयु बालिग निवासी अनोपपुरा तह0 देवगढ जिला राजसमन्द राज0
6. श्री ब्रदीलाल पिता मोडा जी जाति रेगर आयु बालिग निवासी अनोपपुरा तह0 देवगढ जिला राजसमन्द राज0
7. श्रीमान तहसीलदार साहब देवगढ जिला राजसमन्द राज0

—प्रतिवादीगण

## वाद पत्र – अन्तर्गत धारा 88–89–188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

वादीगण का वाद संक्षेप मे इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम अनोपपुरा पटवार सर्कल कुन्दवा भु अभिलेख क्षेत्र पारडी तह0 देवगढ के वर्तमान खाता न0 47 के खसरा नं0 54 रकबा 2 बिघा 5 विस्वा एव खसरा न0 55 रकबा 1 बिघा

भूमि प्रतिवादी सं0 1 से 6 के नाम पर राजस्व रिकोर्ड मे वर्तमान दर्ज है। वादीगण के पिता व दादा श्री उदा पिता मोती जी बलाई निवासी भारतसिह जी का गुडा ने एक जरीये रजिस्टर्ड बिकाव पत्र दिनांक 03.07.1957 को मोती पिता नंगा जी व रामा पिता उदा जी रेगर से तत्कालिन खा0 नं0 24 के खसरा नं0 54 की कोयड वाली नामी भूमि रकबा 2 बिघा 5 विस्वा व खसरा नं 55 कोयडे नामी भूमि 1 बिघा बिएवज दो सो रूपये मे विक्रय की एव खरीदी गई भूमि का कब्जा जैसा तत्कालिन खातेदार मोती व रामा का था वैसा ही हक हकुक नीव, सीव डोली पाली दरकत, चट्आन आदि सहित वादीगण के पिता व दादा को सुपुर्द कर दिया उक्त विक्रय पत्र रजिस्टर्ड होकर सब रजिस्टार देवगढ़ के यहा मोतबिर लोगो की उपस्थित मे दिनांक 8.07.1957 को रजिस्टर्ड हुआ। उक्त भूमि खरीदने के बाद उक्त भूमि का नामान्तरण भरा गया परन्तु विभागीय गलती से या अन्य किसी कारणो से उक्त नामान्तरण स्वीकृत या अस्वीकृत नही हुआ एव उक्त भूमि आज दिन तक प्रतिवादी सं0 1 से 6 के नाम दर्ज रही। जब कि प्रतिवादी सं0 1 से 6 जो मोती पिता नंगा व रामा पिता उदा के वारीसान है जिसका उक्त आराजियात पर विक्रय के बाद से कोई हक हकुक शेष नही रहता उक्त भूमि वर्तमान मे कुछ भाग चट्टान एवव पडत होकर पडा हुआ है जिस पर वादीगण अपने पशु आदि चराते है एव उक्त भूमि वादीगण के कब्जे कास्त मे है। श्री उदा जी का सजरा निम्मनानुसार है–

श्री उदा पिता मोती जी

श्री मांगीलाल (फोत)

श्री लादुलाल (वादी)

श्री चतरू

(वादी)

माफिक सजरा वादीगण श्री उदा पिता मोती जी के वारीसान होने से उक्त भूमि जो वादीगण के पुर्वाधिकारीयो ने खरीदी उसके एकमात्र मालिक वारीसान है। एव वादीगण अपने नाम पर उक्त भूमि राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज कराने के अधिकारी है प्रतिवादीगण के पुर्वाधिकारीयो ने उक्त भूमि का प्रतिफल प्राप्त कर लिया है एव कब्जा भी वादीगण के पुर्वाधिकारीयो को सुपुर्द कर दिया है अब इनका कोई हक हकुक उक्त भूमि पर शेष नही है। मात्र भूलवश उनका नाम राजस्व रिकोर्ड मे चला आ रहा है। वादीगण करीब 15 रोज पुर्व जब उक्त भूमि पर गये तब उक्त भूमि पर अन्यत्र व्यकित द्वारा वृक्ष आदि काटे जाने पर जब वादीगण ने ऐतराज जताया एव पटवार हल्का से मिले एव राजस्व रिकोर्ड की नकले ली तब ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि जो वादीगण की है वह वादीगण के नाम राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज नही है जब कि वादीगण उक्त भूमि अपने नाम पर दर्ज कराने के अधिकारी है।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

तब वादीगण ने राजस्व रिकोर्ड की नकले ले जानकारी होते ही उक्त वाद नियत समय मे प्रस्तुत किया है।

अतः वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सुचना पत्र जारी किया गया प्रतिवादीगण सख्या 1 से 6 बावजुद सुचना पत्र अनुपस्थित रहे जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यावही कि गई प्रतिवादी सख्या 7 का जवाब रेकार्ड पर लिया गया वादी की और से प्रकरण में गवाह चतरू लादु लाल, भैरू लाल व मोहन के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जो सामिल पत्रावली किये गये रजिस्टर विकय पत्र दिनांक 08.07.1957 का आवलोकन किया गया राजस्व रेर्काड का अवलोकन किया गया यह निविवादित है कि वादग्रस्त भुमी उदा पिता मोती जो बलाई ने मोती पिता नंगा व रामा पिता उदा रेगर से जरीये प्रतिफल विकय की जिसका नामान्तरण भी नामान्तरण सख्या 20 भरा गया परन्तु उस पर आगे कीह कोई स्वीकरता स्वीकर्ती नही हुआ वादीगण का वादग्रस्त भुमी पर कब्जा है एवं रजिस्टर्ड विकय पत्र से खरीदी गई है वादीगण के अधिवता कि बहस सुनी गई ।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है कि राजस्व ग्राम अनोपपुरा पटवार सर्कल कुन्दवा भु अभिलेख क्षेत्र पारडी तह0 देवगढ के वर्तमान खाता न0 47 के खसरा नं0 54 रकबा 2 बिघा 5 विस्वा एव खसरा न0 55 रकबा 1 बिघा भूमि मे दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का नाम हटाया जाकर उक्त भुमी वादीगण चतरू पिता उदा व लादुलाल पिता मांगी लाल का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाते है साथ ही वादग्रस्त भुमी पर स्थाईनिषेधाज्ञा वादीगण के पक्ष में जारी कि जाती है तदनुसार डिकी जारी की जावे । पालना हेतु तहसीलदार देवगढ को लिखा जावे । पत्रावली फैशल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2019 को राजस्व न्यायालय देवगढ मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर देवगढ
देवगढ़,जिला राजसमन्द